समाहरणालय, बक्सर
(राजस्व शाखा)

निविदा सूचना

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या–17 कम्प्यू0 (विविध)–242/2013–1915 दिनांक 18.12.2014 के आलोक में बक्सर जिले के सभी 11 (ग्यारह) अंचल कार्यालयों में उपलब्ध सभी जमाबन्दी पंजी–II एवं सर्वे खतियान को स्कैनिंग करा कर ऑनलाईन प्रकाशित किया जाना है। उक्त पंजी की 04 प्रति उच्च गुणवता वाले A4, Legal & A3 साईज पेपर में प्रिन्ट आउट निकालने, प्रिन्ट आउट पेपर का राजस्व ग्रामवार बाईडिंग कराने तथा स्कैनिंग किये गये प्रत्येक राजस्व ग्रामवार जमाबंदी पंजियों एवं सर्वे खतियान का पी0डी0एफ0 फाईल तैयार कर सी0डी0 में उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग – अलग मुहरबन्द लिफाफे में दिनांक 08-12-2016 के अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण :–

1. चयनित एजेन्सी जमाबन्दी पंजी–II के स्कैनिंग एवं बाईडिंग हेतु जिला के सभी 4 अनुमण्डल मुख्यालय में तथा सर्वे खतियान के स्कैनिंग तथा बाईडिंग हेतु समाहरणालय के अभिलेखागार में कम्प्यूटर / स्कैनर एवं अन्य उपकरण एक साथ स्थापित कर कार्य करेगी।
2. चयनित एजेन्सी जमाबन्दी पंजी–II तथा सर्वे खतियान का स्कैनिंग कर ऑनलाईन प्रकाशन करेगी तथा राजस्व मौजावार 4–4 प्रति में हार्ड कॉपी निकालकर बाईडिंग कराकर एक प्रति अंचल कार्यलय, एक प्रति अनुमण्डल कार्यालय, एक प्रति समाहरणालय अभिलेखागार तथा एक प्रति जिला राजस्व शाखा को उपलब्ध करायेगी।
3. चयनित एजेन्सी स्कैनिंग का कार्य कैमरा सहित Overhead Click Scanner / Book Scanner with skpeed of 25ppm, Minimum 5 Meg. Pix. Camera Quality, Scaning Rang Upto A3 Supported Format Pdf, Supported DPI Minimum 300 के माध्यम से किया जाना है। प्रिंटिंग पेपर A4, Legal, A3 Size (80 GSM यो उससे अधिक) Lazer Prinitting के माध्यम से किया जायेगा। Lazer Prinitting हेतु Origional Tonar का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में Refill Toner का उपयोगि नहीं होगा।

प्राप्त सभी निविदा दिनांक 09-12-2016 को अपराह्न 4:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

(क) तकनीकी शर्तें :—

1. निविदादाता प्रतिष्ठान का वाणिज्यकर, आयकर, सेवाकर निबंधित होना अनिवार्य है तथा उससे संबंधित प्रमाण – पत्र एवं विगत –2 वित्तीय वर्ष का रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।
2. निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में 10,000/– (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत हो एवं जिला पदाधिकारी, बक्सर को भुगतेय हो संलग्न करना होगा।
3. निविदादाता प्रतिष्ठान को दुकान एवं प्रतिष्ठान एवं अन्य अधिनियम के तहत कम से कम 5 वर्ष से निबंधित होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता प्रतिष्ठान को बिहार राज्य के किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य या बी0पी0एल0, निर्वाचन, एस0ई0सी0सी0, मनरेगा या अन्य समकक्ष कार्य का अनुभव दो वित्तीय वर्षो हेतु प्रमाण – पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता प्रतिष्ठान का 3 वर्षो में प्रति वर्ष टर्नओभर कम से कम 1 करोड़ या उससे अधिक का होना चाहिए।
6. निविदादाता प्रतिष्ठान को किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
7. निविदादाता को जिला पदाधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण – पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदादाता प्रतिष्ठान को आवंटित कार्य हेतु सभी कम्प्यूटर उपकरण Licensed Operating System एवं Antivirus Software स्थापित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता प्रतिष्ठान को जिला पदाधिकारी द्वारा आवंटित कार्य निर्धारित कालावधि में पूर्ण करने का शपथ पत्र देना होगा।
10. निर्धारित कालावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना चयनित एजेंसी से वसूलनीय होगा। साथ ही उनके द्वारा जमा अग्रधन जब्त किया जा सकेगा।
11. निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर ईंधनयुक्त जेनरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
12. आवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यस्थल का परिवर्तन किया जा सकेगा। इस हेतु चयनित एजेन्सी को कोई अतिरिक्त भुगतान मान्य नहीं होगा।
13. चयनित एजेन्सी को आवंटित कार्य पूर्ण करने हेतु स्थापित किये जाने वाले उपकरण यथा : कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर, यू0पी0एस0, जेनरेटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का पूर्ण विवरण देना होगा। कार्य हेतु मानक के अनुरूप उपकरण नहीं पाये जाने पर एजेन्सी का कार्य आवंटन तत्काल रद्द किया जा सकेगा।

(ख) वित्तीय निविदा :—

1. स्कैनिंग का दर सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना के पत्रांक 1915/रा0 दिनांक 18.12.2014 के आलोक में निविदादाता द्वारा दिया जायेगा।

2. जमाबन्दी पंजी–II तथा खतियान के हार्डकॉपी का प्रिंटिंग A4, Legal, A3 Size पेपर पर आवश्यकतानुसार होना है। इसलिए इस तीनों साईज के पेपर पर प्रिंटिंग का दर अलग – अलग देना होगा।

3. जमाबन्दी पंजी–II तथा खतियान के हार्डकॉपी का मौजावार भौलूम 1 से 100 पन्ने, 101 से 200 पन्ने, 201 से 300 पन्ने, 301 से 400 पन्ने एवं 401 से 500 पन्ने बनाकर प्लास्टिक कोटेड मजबूत बाईडिंग का दर अलग – अलग देना होगा।

<u>(ग) सामान्य शर्तें</u> :–

1. निर्धारित समय – सीमा की बाध्यता के मदेनजर न्यूनतम दर एवं तकनीकी दक्षता के आधार पर एक से अधिक निविदादाताओं के बीच कार्य आवंटित किया जा सकता है एवं इस हेतु अधोहस्तक्षरी द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश होगा।
2. चयनित एजेन्सी को कार्य सम्पन्न करने हेतु उपलब्ध कराये गये अभिलेख यथा : खतियान, पंजी–II के समुचित रख–रखाव की जिम्मेवारी होगी।
3. कार्य समाप्ति होने एंव विभाग से राशि के आवंटन प्राप्त होने के पूर्व चयनित एजेंसी को किसी प्रकार के अग्रिम राशि भुगतान नहीं किय जायेगा। इस हेतु कोई सूद की राशि भी भुगतेय नहीं होगा।
4. सभी अनुमण्डल मुख्यालय से संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी तथा समाहरणालय में अपर समाहर्त्ता, बक्सर की देख–रेख एवं पर्यवेक्षण में कार्य सम्पन्न होगा तथा उनकी स्पष्ट अनुशंसा पर ही चयनित एजेंसी को भुगतान किया जायेगा।
5. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अपूर्ण या बिना हस्ताक्षर / मुहर के पाये जाने पर उसे स्वीकार नही किया जायेगा।
6. एजेंसी के चयन में निविदा के न्यूनतम दर के साथ – साथ किसी अन्य जिले में स्कैनिंग कार्य के अनुभवी निविदादाता प्रतिष्ठान को प्राथमिकता दी जायेगी एवं न्यूनतम दर, तकनीकी दक्षता एवं निगोसियेशन के आधार पर एजेंसी का चयन किया जायेगा।
7. कार्य आवंटन से पूर्व विभागीय अनुदेशों एवं निविदा की शर्तो के अनुरूप चयनित एजेंसी को अपने खर्च पर एकरारनामा करना होगा।
8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
9. बिना कारण बताये निविदा की शर्तो में संशोधन करने, निविदा स्थगित या रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
10. कोई भी निविदा निर्धारित तिथ एंव समय के पश्चात स्वीकार नही किया जायेगा।
11. अधिक जानकारी के लिए www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है या समाहरणालय बक्सर के राजस्व शाखा से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

22.11.16

जिला पदाधिकारी,
बक्सर